न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 199/2025 — दायर दिनांक–04.08.2025

1. बाबूलाल पुत्र गौरूराम
2. रामनिवास पुत्र गौरूराम जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुंनू

–वादीगण

1. सोहनलाल पुत्र गौरूराम
2. ओमप्रकाश पुत्र गौरूराम
3. जितेन्द्र पुत्र भगवाना
4. लेखराज पुत्र शंकरलाल
5. हेमराज पुत्र शंकरलाल
6. किशोर पुत्र शंकरलाल
7. विनोद पुत्र शंकरलाल
8. ओमप्रकाश पुत्र बेगाराम
9. मनोज कुमार पुत्र मदनलाल
10. राजेन्द्र पुत्र बेगाराम
11. लक्ष्मी पुत्री किशोर
12. सुनिता पुत्री किशोर समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
13. प्रबंधक राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–30.10.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 27 पुराना 22 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 106 रकबा 0.1800 है०, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.8500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0300 है० भूमि अवस्थित है जिसको आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया गया है।

वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1800 है० के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 12 के नाम दर्ज है परन्तु मौके पर कब्जा व काश्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का है पूर्व में प्रतिवादीगण के वंशज बेगाराम ने सन् 1976 में एक स्टाम्प एक रूपयें की विक्रय की लिखापढ़ी करके वादीगण व प्रति[illegible] वंशज कालू को 800/– रूपयें में विक्रय कर दी थी उसके बाद से ही मौके [illegible] (पूर्वज) कालू का रहा है कालू के फोत होने पर उसके वारिसान का निर्विवाद रूप से कब्जा का[illegible]ला आ रहा है परन्तु अब बेगाराम के वारिसो के मन में बेईमानी राजस्व रिकॉर्ड में नाम देखकर आ गई जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम से दर्ज नही करवाना चाहते है।

राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 27 के भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1800 है० जिसके पुराने खसरा नम्बर 1924 व इसके पुराने खसरा नम्बर 1230 बने। प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 के पूर्वज बेगाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज था। बेगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

ने सन् 1976 में खसरा नम्बर 1230 रकबा 15 विश्वाभूमि का विक्रय वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज कालूराम के नाम कर दिया तथा 800/– रूपयें प्रतिफल लेकर मौके पर 15 विश्वा पर कब्जा संभला दिया तब से आज तक 50 वर्षों से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। वादीगण अब उक्त खसरा नम्बर 1230 के नये खसरा नम्बर 106 का राजस्व रिकॉर्ड विक्रय इकरारनामा व कब्जा के अनुसार अपने नाम करवाना चाहते है जिसको निम्न हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया जावें। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जायें तथा भूमि खसरा नम्बर 106 से प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें जिसके लिए उक्त वाद बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

कालू के तीन पुत्र गौरू, भगवाना व शंकरलाल पैदा हुये। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 गौरू के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 3 भगवाना के वारिस है तथा प्रतिवादीसंख्या 4 लगायत 7 शंकरलाल के वारिस है इनका मौके पर वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार कब्जा काश्त है बेगाराम के वारिस ओमप्रकाश, मदनलाल, किशोर आदि वारिस है इनका 50 वर्षों से खसरा नम्बर 106 पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम है जो गलती से चला आ रहा है इसलिए उक्त खसरा नम्बर 106 का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा अपनी भूमि को काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है अगर वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त नही किया जाता है तो वादीगण को भंयकर हकतलफी होगी जिसका खामियाजा किसी भी सुरत में संभव नहीं होगा तथा आगे से आगे मुकदमे बाजी बढ़ती जायेगी तथा समय व धन की बर्बादी होगी।

उक्त वाद के लिए वादकारण दिनांक को वादीगण के द्वारा अपने राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तो वादीगण को अपने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई ओर तुरन्तही पुराने राजस्व रिकॉर्ड की नकले निकलवाई तथा वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण से अपना राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का निवेदन करने पर मना करने के रोज न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। वैसे भी वादीगण का वाद घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरुस्ती का है जिसके लिए वादकारण हमेश होता रहता है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 27 पुराना 22 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 106 रकबा 0.1800 है० में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा भूमि खसरा नम्बर 106 से प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें इस आदेश की तहरीर प्रतिवादी नं. 14 को जारी की जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु बाबूलाल, सोहनलाल तथा रामनिवास के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 असल इकरारनामा आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी [illegible] बहस में वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–1 [illegible] ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 27 पुराना 22 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 106 रकबा 0.1800 है० भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श–3 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि मै बैगाराम पुत्र हणमान जाति [illegible] निवासी चिराणा 800/– रूपये में कालू पुत्र झुंथा का विक्रय कर दी है। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में विक्रेता बेगाराम तथा क्रेता कालूराम के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। गवाह श्री रामनिवास, सोहनलाल तथा बाबूलाल ने अपने सपथ पत्रों में कथन किया गया है कि उक्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वादीगण का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि को वादीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय किया गया था तथा क्रय किये गये रोज से ही उक्त भूमि पर वादीगण/प्रतिवादीगण 01 लगायत 07 व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी क्रय के रोज से वादीगण व उनके पूर्वजों का होना प्रमाणित है। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 07 का कब्जा होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही की है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 27 पुराना 22 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 106 रकबा 0.1800 है0 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा संः– 199/2025 **(बाबूलाल बनाम सोहनलाल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.10.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 27 पुराना 22 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 106 रकबा 0.1800 है० में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 12 का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.10.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (कार्यपालक
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested